<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी।</u>

CNR NO.–UPLP 1201 9743 2023

अरविन्द

बनाम

डॉ. मदनपाल

परिवाद सं०–934/2026
धारा–337, 504, 506 भा०दं०सं०।
थाना–उचौलिया, जिला–खीरी।

<u>दिनांकः 14.08.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त डॉ० मदनपाल उपस्थित। परिवादी न्यायालय में गैर हाजिर है। अभियुक्त द्वारा जरिए विद्वान अधिवक्ता उन्मोचन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–245 दं०प्र०सं० दिनांकित 14.08.2026 के माध्यम से अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियुक्त को जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.08.2026 अं०धारा 245 दं०प्र०सं० पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद पेश हो।

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।
(JO CODE–UP3725)

<u>दिनांकः 14.08.2026</u>

पत्रावली लंच बाद वास्ते आदेश पुनः पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त डॉ० मदनपाल उपस्थित। परिवादी न्यायालय में गैर हाजिर है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली दिनांक 15.04.2026 से परिवादी के साक्ष्य अं०धारा–244 दं०प्र०सं० हेतु नियत थी। परिवादी द्वारा कोई भी साक्ष्य धारा 244 सी०आर०पी०सी० के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 19.06.2026 को उसके साक्ष्य धारा 244 सी०आर०पी०सी० का अवसर समाप्त करते हुए पत्रावली आरोप हेतु नियत की गयी थी। परिवादी द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त के उन्मोचन प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है। इस समय न्यायालय की घड़ी में 04:30 बजे हैं। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सामग्री धारा 244 सी०आर०पी०सी० के तहत मौजूद नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 245(2) दं०प्र०सं० में उन्मोचित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मदनपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 14.08.2026 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली अभियुक्त मदनपाल को धारा–337, 504, 506 भा०दं०सं० के अपराध से धारा–245(2) दं०प्र०सं० के तहत उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रजत प्रकाश सोन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।
(JO CODE–UP3725)